16

ग्रामीण विकास

16.1 पृष्ठभूमि

1999 के संदर्भ में दूरसंवेदी आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का लगभग 91% ग्रामीण था, जिसमें लगभग 43.61% आबादी निर्वासित है (जनगणना 2001)। दिल्ली से बाहर, जो मुख्यतः ग्रामीण है, 371 लाख की कुल जनसंख्या में से, 162 लाख अर्थात्, 43% से अधिक अभी भी क्षेत्र की 7,528 ग्रामीण बस्तियों (2001) में रहती है । इस प्रकार, यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों को योजना अभ्यास में सम्मिलित नहीं किया गया तो, एक बड़ा क्षेत्र और जनसंख्या योजनाबद्ध विकास से बाहर रह जाएगी । नगरों के नियंत्रित/विकास/विनियमित क्षेत्रों के बाहर पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के स्थान निर्धारण के लिए कोई विकास नियंत्रण नहीं है जिसके फलतः गैर-योजित शहरी/औद्योगिकी गतिविधियों में वृद्धि हुई है । दूसरे, ग्रामीण बस्तियां, जो तेज़ी से बढ़ रहे दिल्ली महानगरीय क्षेत्र में स्थित है, में भौतिक और सामाजिक-आर्थिक बदलाव अनुभव कर रहे हैं, विशेषकर वह ग्रामीण बस्तियां जो एन.सी.टी.-दिल्ली और दिल्ली महानगर क्षेत्र के नगरों के निकट, प्राथमिकता नगरों तथा मुख्य परिवहन कोरिडोरों में है ।

क्षेत्रीय योजना-2001 में मूल गांवों (बेसिक ग्रामों) में निम्न श्रेणी की सुविधाओं तथा सेवा केन्द्रों (सर्विस सेंटरों) में उच्च श्रेणी की सुविधाओं की व्यवस्था की गई । ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण कामगारों के कौशल के उन्नयन, ग्रामीण कारीगरों के लिए प्रशिक्षण, रोजगार अवसरों के सृजन, कम-लागत की ग्रामीण आवास का प्रबंध, जल आपूर्ति और सफाई प्रबंधन सुविधाओं पर बल योजना में दिया गया है । इसमें आरंभिक (पायलट) परियोजना के रूप में खण्ड (ब्लाक) स्तर पर गांवों के समूह के लिए एकीकृत योजनाएं तैयार करने की व्यवस्था भी की गई है ।

क्षेत्रीय योजना-2001 की समीक्षा में यह सिफारिश की गई कि बस्तियों के वर्गीकरण में, मूल गांव और सेवा केन्द्र के बीच केन्द्रीय गांव की श्रेणी को संकलित किया जाना चाहिए । यह भी सुझाव दिया गया कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में दिए गए अधिदेश पर राज्यों द्वारा उप-क्षेत्रीय योजनाओं की रूपरेखा के भीतर एकीकृत जिला विकास योजनाएं तैयार की जानी चाहिए । इसके आगे यह सुझाव दिया कि ग्रामीण भूमि उपयोग के अनाधिकृत रूप से शहरी उपयोग में परिवर्तन को नियंत्रण करने के लिए सामान्य विधान के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समग्र ग्रामीण क्षेत्र को एक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए ।

16.2 मुद्दे

16.2.1 संघटक राज्यों के वर्तमान नगर और ग्राम योजना अधिनियम में नगर के अधिसूचित नियंत्रित/विकास/विनियमित क्षेत्र के लिए महा/विकास योजना तैयार करने की व्यवस्था है तथा नियंत्रित/विकसित/विनियमित क्षेत्र के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी गतिविधियों के स्थान निर्धारण के लिए कोई भी नियंत्रण नहीं है । वास्तव में, कोई भी अधिनियम में क्षेत्रीय विकास अनिवार्यतःलक्षित नहीं है तथा शहरी योजना और विकास तक सीमित है ।

16.2.2 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोई जिला विकास योजनाएं तैयार नहीं की गई हैं।

16

RURAL DEVELOPMENT

16.1 BACKGROUND

As per the Remote Sensing data pertaining to 1999, about 91% of the total area of NCR was rural, accommodating about 43.61% of the population (Census 2001). Outside NCT-Delhi, which is predominantly rural, of the total population of 371 lakhs, 162 lakhs i.e., more than 44% live in the 7,528 rural settlements (2001) of the region. Thus a large area and population will be left out of planned development, unless the rural areas of NCR are included in the planning exercise. There is no development control in locating various economic activities in the rural areas, falling outside the controlled/development/regulated areas of the towns, which has resulted in the growth of unplanned urban/industrial activities. Secondly, rural settlements, located in the fast growing Delhi Metropolitan Region, are undergoing physical and socio-economic changes, particularly the rural settlements in NCT-Delhi and adjacent to the DMA towns, Priority towns and on the major transport corridors.

Regional Plan-2001 provided for lower order facilities in the Basic Villages and higher order facilities in Service Centres. The Plan emphasized on upgradation of skills of rural workers, training for rural artisan, creation of employment opportunities, provision of low-cost rural housing, water supply and sanitation facilities in rural areas. It also provided for preparation of integrated plans for cluster of villages at the block level as pilot project.

Review of Regional Plan-2001 recommended that in the settlement hierarchy, a category of central village should be added between the basic village and service centre. It also suggested that integrated District Development plans may be prepared by the States within the framework of Sub-regional Plans as mandated in the 74th Constitutional Amendment Act. It further suggested notifying the entire rural area in NCR as one area under the common legislation in order to control the unauthorised conversion of rural land use to urban use.

16.2 ISSUES

16.2.1 The existing Town and Country Planning Act of the constituent States have provisions for preparation of Master/Development Plan for the notified development/controlled/regulated area around a town and do not have any control on location of urban activities in rural areas outside development/controlled/regulated areas. In fact, none of the Acts are aimed at regional development per-se and are limited to urban planning and development.

16.2.2 No District Development Plans as per the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts have been prepared in NCR.

16.2.3 राष्ट्रीय राजधानी तथा अन्य महानगरीय शहरों के अत्यंत नज़दीक ग्रामीण बस्तियों में, तीव्र भौतिक और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं जिसके कारण अव्यवस्थित विकास तथा जल आपूर्ति, विद्युत, सफाई प्रबंधन, जल-निकास आदि जैसी मूल सेवाओं का अभाव है ।

16.3 नीति और प्रस्ताव

16.3.1 क्षेत्रीय स्तर पर, तुलनात्मक रूप से कम विकसित जिलों को राज्यों द्वारा संबंधित उप-क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करते समय मानव विकास तथा साक्षरता, आयु संभावना, शिशु मृत्यु दर, उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय आदि जैसे आर्थिक सूचकों को आधार रख कर जिलों के बीच अंतरात्मक विकास की पहचान करनी चाहिए । उप-क्षेत्रीय योजनाएं जिलों के संतुलित विकास के लिए एक कार्यनीति का सुझाव देंगी । यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से परिकल्पित जिला योजना के लिए सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को भी निर्धारित करेंगी ।

16.3.2 संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विकास, समर्थता, आकार और मूल गांवों के लिए केन्द्रीय कार्य, निर्वाह करने की योग्यता को आधार रख कर उप-क्षेत्रीय/जिला योजनाओं में सेवा केन्द्रों (सर्विस सेंटर) तथा केन्द्रीय गांवों (सेंटर विलेज) की पहचान करेंगी ।

16.3.3 संबंधित राज्य सरकारें विस्तृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तैयार करेंगी तथा उसे उप-क्षेत्रीय योजनाओं के साथ-साथ जिला योजनाओं में सम्मिलित करेंगी । इन कार्यक्रमों को इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए कि गांवों से पड़ोसी नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवसन जहां तक विस्तार संभाव्य है, को सीमित किया जा सके।

16.3.4 उपर्युक्त के अतिरिक्त, अन्य कार्यनीतियां, जिन्हें उप-क्षेत्रीय योजनाओं में सम्मिलित किया जाना चाहिए, निम्नवत हैं :

(i) लघु-उद्यमीकरण में प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्थानीय उत्पाद का प्रक्रमण, व्यवसायिक कौशल उन्नयन इत्यादि, मुर्गी पालन, दुग्धशाला, कुम्हारगिरी, हथकरघा, हस्तकला जैसी सम्बद्ध कृषि-आर्थिक गतिविधियों और ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करना चाहिए ।

(ii) लघु-उद्यमों को शुरू करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों और ऋण योजनाओं को पूर्वाकालित किया जाना चाहिए तथा एक पैकेज में जिला योजना के माध्यम से दिया जाना चाहिए ।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, बेहतर सफाई प्रबंधन, जल आपूर्ति, संचार प्रणाली, सामाजिक अवसंरचना आदि, जैसी शहरी सुख-सुविधाएं/सुविधाओं मुहैया करनी चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके । साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न वर्ग की बस्तियों में बेहतर आवागमन सुविधा का प्रबंध करना ।

(iv) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के महानगरीय शहरों में विदेशी कृषि उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को कुकुरमुत्ता, ब्रोकोली, बच्चा मकई, बांस शूट, मुर्गी पालन, मछली आदि के साथ-साथ पुष्पोत्पादन जैसी गैर-परम्परागत फसलें उगाकर पूरा किया जाना चाहिए । राज्य सरकारों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गैर-परम्परागत उच्च मूल्य व्यवसायिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों को तकनीकी जानकारी, वित्तीय और विपणन सहायक सुविधाओं आदि के रूप में ज़रूरी अवसंरचना की व्यवस्था करनी चाहिए । इससे प्रति ईकाई आय बढ़ेगी और साथ ही अन्य उपयोगों में परिवर्तन का जोखिम भी कम होगा ।

(v) विपणन, अनुसंधान और विकास तथा ग्रामीण अवसंरचना के विकास के लिए क्षेत्र में सरकारी अभिकरणों, निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों तथा सहकारिताओं के बीच कार्यनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।

(vi) नए मौकों, कार्यरत कार्यक्रमों, लघु-उधार के संसाधनों, बाजार समर्थता आदि के बारे में ग्रामीण लोगों को सूचित करने के लिए नियमित आधार पर संबंधित सूचना का प्रसारण किया जाना चाहिए ।

16.2.3 The rural settlements, which are very close to the national Capital and other Metropolitan cities, are undergoing rapid physical and socio-economic changes, causing haphazard development and shortages of basic services like water supply, power, sanitation, drainage etc.

16.3 POLICY AND PROPOSALS

16.3.1 At the regional level, comparably less developed districts should be identified based on development differential among the districts using human development and economic indicators like literacy, life expectancy, infant mortality, productivity and per capita income etc. by the States at the time of preparation of the respective Sub-regional Plans. The Sub-regional Plans would suggest a strategy for the balanced development of the districts. It will also set the socio-economic goals for the District Plan envisaged through the 74th Constitutional Amendment Act.

16.3.2 Service Centres and Central Villages will be identified in the Sub-regional/District Plans by the respective State Governments based on their growth potential, size and capability of performing central functions for the Basic Villages.

16.3.3 Respective State Governments will prepare the detailed rural development programmes and incorporate the same in the Sub-regional Plans as well as in the District Plans. These programmes should be prepared keeping in view the objective that migration from the villages to the neighbouring towns and industrial areas should be restricted to the extent possible.

16.3.4 Other strategies, in addition to above, which should be incorporated in the Sub-regional Plans, are as follows:

(i) Training programmes in micro-entrepreneurship, processing of local produce, vocational skill upgradation etc., allied agro-economic activities such as poultry, dairy, pottery, handlooms, handicrafts and rural tourism may be encouraged.

(ii) Financial incentives and loan schemes for starting micro-enterprises may be worked out and delivered in a package through district planning.

(iii) Providing urban amenities/facilities in rural areas such as housing, better sanitation, water supply, communication system, social infrastructure etc., to improve the quality of life in the rural areas. Also provide better connectivity among various types of settlements in the rural areas.

(iv) Increasing demand for exotic agriculture produces in the Metropolitan cities of NCR should be met through cultivating non-conventional crops such as mushrooms, broccoli, baby corn, bamboo shoot, poultry, fish as well as floriculture. The State Governments should provide necessary infrastructure in terms of technical know-how, finance and marketing support facilities etc. to the farmers to promote the non-conventional high value commercial farming in NCR. This will increase per unit earning and also reduce the risk of its conversion to other uses.

(v) Promotion of strategic partnership between government agencies, private sector, NGOs and Cooperatives in the areas of marketing, research and development and growth of rural infrastructure.

(vi) Dissemination of relevant information on regular basis to apprise rural people about new opportunities, on-going programmes, sources of micro-credit, market potentials, etc.

(vii) ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों को उप-क्षेत्रीय योजनाओं और जिला योजनाओं में सम्मिलित किया जाना चाहिए और जो कि संघटक राज्य सरकारों और उनके अभिकरणों द्वारा इनके कार्यान्वयन के लिये कार्य योजनाओं द्वारा अनुवर्तित किया जाना चाहिए ।

(viii) राज्य सरकारों और उनके अभिकरणों को उप-क्षेत्रीय योजना और जिला योजना तैयार करते समय ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्धशाला विकास केन्द्रों की पहचान और उनको बढ़ावा देना चाहिए ।

(ix) अनाधिकृत गतिविधियों से ग्रामीण क्षेत्रों को बचाने के लिए, राज्य सरकारों द्वारा उप-क्षेत्रीय योजनाओं में ज़रूरी प्रावधान करने चाहिए ।

(vii) The various programmes of the Ministry of Rural Development should be incorporated in the Sub-regional Plans and District Plans followed by the Action Plans for their implementation by the constituent State Governments and their agencies.

(viii) The State Governments and their agencies should identify and promote dairy growth centres in the rural areas while preparing the Sub-regional Plans and District Plans.

(ix) In order to protect rural areas from unauthorized activities, necessary provisions be made in the Sub-regional Plans by the State Governments.